छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा अष्ठम सत्र अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जुलाई, 2016

(आषाढ़ 20, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री यज्ञदत्त शर्मा, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी-संसदीय सचिव एवं श्री अरूण वोरा-सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.19 बजे स्थगित होकर 11.28 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 02 (कुल 02) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 49 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. मार्च, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार मार्च, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

5. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2016 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन मार्च, 2016 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

6. माननीय राष्ट्रपति/माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के दिसम्बर, 2015 सत्र में पारित 13 विधेयकों में से शेष बचे 6 विधेयक में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल की तथा मार्च, 2016 सत्र में पारित 17 विधेयकों में से 15 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

7.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

8. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 11 जुलाई, 2016 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

	वित्तीय कार्य		समय
(i)	वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.		3.00 घंटे
	शासकीय विधि विषयक कार्य		
(i)	छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2016	-	1.00 घंटा
(ii)	छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2016	-	30 मिनट

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

9. पृच्छा

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सभा में विस्तार से चर्चा हो मैं सहमत हूं। लेकिन नियमों और पूर्व उदाहरण के अंतर्गत यह स्थगन के माध्यम से ग्राह्य योग्य नहीं है। माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, वे भी सहमत होंगे।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि वे कक्ष में उनसे चर्चा कर लें। वे किसी न किसी माध्यम से इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो ये सुनिश्चित करेंगे।

11. व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि काम रोको प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी एक विषय पर लाया जाता है। यदि पूरे प्रदेश की विभिन्न स्थानों की घ्टनाओं को सम्मिलित किया है तो आसंदी से जैसी व्यवस्था दी, चर्चा करने से सरकार नहीं भागती, लेकिन सदन नियम कानून एवं उसकी अपनी परंपरा से ही चलेगा।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा कराऊंगा लेकिन अन्य माध्यम से चर्चा हो सकेगी।

माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सदन में प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करने के लिए 04 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई थी किंतु 04 जुलाई को यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उस पर व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। किसी सूचना को ग्राह्य करने या नहीं करने का क्षेत्राधिकार आसंदी का है। नियम, परंपरायें आप सबको ज्ञात है, मैं इस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं समझता।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने आग्रह किया कि यदि सदन सहमत हो तो प्रतिपक्ष के सदस्यों से सूचना प्राप्त होने पर नियम 139 के अधीन इस विषय पर चर्चा आज ही निर्धारित की जा सकती है।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सहमति व्यक्त की।

12. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री संतराम नेताम, मोतीलाल देवांगन, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य ने प्रदेश में नाबालिग युवतियों को अन्य राज्यों में ले जाकर बेचे जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, अमरजीत भगत, बृहस्पत सिंह (अनुपस्थित), सदस्य ने सरगुजा संभाग अंतर्गत हाथियों के उत्पात से जन-धन की हानि होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

13. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

श्री संतराम नेताम, सदस्य ने नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अबूझमाड़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी तेल उपलब्ध न होने संबंधी शून्यकाल सूचना पढ़ी।

14. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री रोहित कुमार साय, सदस्य ने नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(कार्यसूची के पद क्रमांक 9 - नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा में सम्मिलित सूचना के स्थान पर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हेतु अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई।)

(1.28 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

15. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री शिवरतन शर्मा,

16. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा कांग्रेस पार्टी के शासन काल में सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को पुन: विशेषाधिकार समिति में पुनर्विचार हेतु भेजने का उल्लेख करने पर श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति करते हुए माननीय अध्यक्ष से व्यवस्था चाही।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्वाईंट आफ आर्डर उठाया था । सभा में संपादित कार्य नियमों एवं परंपराओं के आधार पर संपादित होते हैं। सभा द्वारा पारित कोई प्रस्ताव पर, इस सभा को पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त है और पुनर्विचार के अनेक उदाहरण उपलब्ध है। कृपया माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही पर टीका टिप्पणी न करें।

17. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, अमरजीत भगत, श्रीचंद सुदंरानी, मोहन मरकाम, अमित अजीत जोगी, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री संतराम नेताम, राजेन्द्र कुमार राय, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय मंत्री जी का उत्तर आने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्रीमती अनिला भेंडिया, डॉ. विमल चोपड़ा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

18. बहिर्गमन

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

सांय 6.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई, 2016 (आषाढ़ - 21, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा